3. पो0–दाउदपुर,

लोक सुनवाई का वृत।

श्री पप्पू कुमार, पिता–चैतू राय, ग्राम+मौजा–दाउदपुर, वार्ड नं0–03, पो0–दाउदपुर, थाना–शापुर, जिला–पटना द्वारा नालंदा लोकाईन–02 एवं 05 बालूघाट, मौजा+ग्राम–बिशुनपुर, पी.ओ.– कन्हैयागंज, पी.एस.– तेल्हारा, ब्लॉक– एकंगरसराय जिला–नालंदा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे नालंदा जिला के अंचल कार्यालय, एकंगरसराय, जिला–नालंदा में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2441/2023, dated 14.06.2023 के आलोक में श्री मंजीत कुमार, अपर समाहर्त्ता, नालंदा (जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अंचल कार्यालय, एकंगरसराय, जिला–नालंदा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 29.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (100 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री आनंद कुमार, ग्राम–कोविल, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का निदान कैसे करेंगे ? पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा।
2.	श्री सुनील कुमार, ग्राम–बिशुनपुर, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना से ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा ? इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।
3.	श्री सुनील कुमार, ग्राम–कोविल, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू का परिवहन प्रायः ट्रैक्टर से किया जाता है, जिससे सड़क बर्बाद हो जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि परिवहन/यातायात के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा, बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी नहीं चलेगी, चालक नाबालिग नहीं होना चाहिए। ओभर लोडिंग नहीं

		किया जायेगा, गिला बालू का परिवहन नहीं किया जायेगा। जिससे कम–से–कम क्षति होगी।
4.	श्री बलराम मिस्त्री, ग्राम–कुशालपुर, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान बालू का परिवहन पिच रोड से हो, क्योंकि नहर डैमेज हो गया है।
5.	श्री पप्पू कुमार, ग्राम–कोविल, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन परियोजना के दौरान जो पेड़ लगेगे, उनका रख–रखाव कौन करेंगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत् जितने पेड़ लगाये जायेंगे, उनका रख–रखाव पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा। इसके लिए एक स्थानीय माली को भी रखा जाएगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

जिला खनन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 1 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समाहर्त्ता,
नालंदा

उपस्थिति सूचि

श्री पप्पू कुमार, पिता–श्री चैतू राय द्वारा नालंदा लोकाईन–02 एवं 05 बालू घाट, मौजा+ग्राम–बिशुनपुर, पोस्ट–कन्हैयागंज, थाना–तेल्हारा, ब्लॉक–एकंगरसराय, जिला–नालंदा में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय ,एकंगरसराय दिनांक 30.08.2023 समय–11:30 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	MANJIT KUMAR	ADM NALANDA	[signature]
2.	आशीष कुमार गुप्ता	सं०- पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नियंत्रण पर्षद, पटना	[signature] 30-8-23
3.	मुकेश कुमार	जिला खनन पदा०, नालंदा	[signature] 30/8/23
4.	Md Rashid Aftab	Rean Enviro Pvt	Rashid
5.	Amir Akhtar	Rion Enviro Pvt Ltd Env. Consultant, Patna	Amir Akhtar
6.	Vikash Km	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Km.
7.	Anand Km	At+PO Kabil (Nalanda	[signature]
8.	पप्पु कुमार	कोविल	[signature]
9.	पप्पु सिंह	कोविल	[signature]
10	Sunil Kumar	Vishnupur	S. K.
11	Pravin Kumar	vishnupur	Pravin Kumar
12	chhotu Kumar	vishanupur	chhotu Kumar
13	राजनन्दन यादव	विसुनपुर	राजनन्दन यादव
14	अरुण कुमार	विसुनपुर	अरुण कुमार
15	Munna kumar	Kothari	Munna Kumar

16	महेश बिंद	नरायन	महेश बिंद
17	अमरेन्द्र कुमार	छतरपुर	अमरेन्द्र कुमार
18	अखिलेश कुमार	छतरपुर	अखिलेश कुमार
19	सुनिल कुमार	कौविल	सुनिल कुमार
20	रनविजय कुमार	बिशुनपुर	रनविजय कुमार
21	धीरज कुमार	बिशुनपुर	धीरज कुमार
22	अरुण कुमार	बिशुनपुर	अरुण कुमार
23	अनुज सिंह	बिशुनपुर	अनुज सिंह
24	ठाकुर यादव	मेडाद (ओन्दी बिगहा	ठाकुर यादव
25	राजीव कुमार	छतरपुर	राजीव कुमार
26	Naveen Kuma	Ghana Bigha	Naveen Ku
27	वीर गोप	सोनियावां	वीर गोप
28	राज वल्लभ प्र०	सोनियावां	राज वल्लभ प्र०
29	विजेन्द्र प्रसा	सोनियावां	विजेन्द्र प्रसाद
30	नवल किशोर प्रसा	सोनियावां	नवल किशोर प्रसाद
31	उपेन्द्र प्रसाद	सोनियावाँ	उपेन्द्र प्रसाद
32	नन्द प्रसाद	सोनियावाँ	नन्द प्रसाद
33	सुजीत कुमार	सोनियावाँ	अर्जुन रविदास
34	चन्दन कुमार	कोविल	नरेन्द्र प्रसाद

35	SUNIL KUMAR	KOBIL	ARVIND PRASAD
36	बलिराम मिस्त्री	सोनियावां	बलिराम मिस्त्री
37	Sudhir Kumar	पाईकमल पुर	Sudhir Kumar.
38	Rahul Kumar	Ruchakpur	Rahul Kumar
39	सुमन कुमार	बिशुनपुर	सुमन कुमार
40			